"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2008—आश्विन 18, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008 एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क, आयुक्त, जनसंपर्क एवं सचिव, आवास-पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 4-72/32/स्था/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 2 (7) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. के. चौधरी, उपायुक्त-1 एवं श्री ए. के. सक्सेना, उपायुक्त-3 (चालू प्रभार), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को कार्य ग्रहण करने की तिथि से नीचे दर्शाये गये क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

क्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी	क्षेत्र (राजस्व जिले)
1.	सक्षम प्राधिकारी, श्री एस. के. चौधरी, उपायुक्त-1, रायपुर.	रायपुर, जगदलपुर; कांकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद.
2.	सक्षम प्राधिकारी, श्री ए. के. सक्सेना, उपायुक्त-3, रायपुर.	बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, कोरिया, सरगुजा.

No. F 4-72/32/Estt/2007.—The State Government authorizes in exercise of powers conferred vide Section 2 (7) of Chhattisgarh Grih Nirman Mandal Act, 1972, Shri S. K. Chowdhury, Dy. Housing Commissioner (1) and Shri A. K. Saxena, Dy. Housing Commissioner (3) (Current In charge), Chhattisgarh Housing Board, to discharge duties as Competent Authority for the jurisdiction specified as under, effective from the date of their assuming charge :---

Sl. No.	Authorized Officer	Jurisdiction (Revenue Districts)
1.	Competent Authority, Shri S. K. Chowdhury, DHC (1), Raipur.	Raipur. Jagdalpur, Kanker, Dantewada, Durg, Rajnandgaon, Kawardha. Dhamtari, Mahasamund.
2.	Competent Authority, Shri A. K. Saxena, DHC (3), Raipur.	Bilaspur, Raigarh, Jashpur, Korba, Janjgir-Champa, Korea, Sarguja.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 10-31/07/10-2/वन.—छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15, सन् 1982) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा वनों के विकास से संबंधित निम्नलिखित प्रयोजन, जिनमें वन विकास उपकर में जमा राशि का उपयोग किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करती है —

1. भू एवं जल संरक्षण

No. F-10-31/07/10-2/Forest.—In exercise of powers conferred by clause (c) of subsection (5) of section 7 of the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), the Government of Chhattisgarh hereby specifies following purposes for which amount deposited in Van Vikas Upkar Nidhi may be utilized—

1. Soil and water conservation.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

क्रमांक/एफ-4-70/2007/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **"छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा नियम 2008"** है ।

(2) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी पद पर नियुक्त करने या उसके पश्चात् सौंपी जाये, की शक्ति सौंपी गई है।

(ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है, अनुसूची चार के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी विभागीय चयन/पदोन्नति समिति जो उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए गठित किया गया है।

(ग) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार।

(घ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल।

(ङ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-5 (पच्चीस) 4-84, तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

(च) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

(छ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ।

(ज) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति।

(झ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना** –छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थातः–

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची (एक) में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि**– सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी,
परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका**–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा ।

(ख) ऐसे व्यक्ति के पदोन्नति द्वारा जैसा अनुसूची चार विनिर्दिष्ट है ।

(ग) स्थानांतरण द्वारा जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाये, ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण करते हों ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची दो के कॉलम (क) एवं कॉलम (ख) में दर्शाये गये पदों की संख्या के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और एसे प्रत्येक तरीकें द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन करने के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू रहेंगें तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिदिष्ट भर्ती के किसी भी एक तरीके, से की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें**– परीक्षा/चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिए,, अर्थात :–

(एक) आयु :

(क) वह परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को–अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो, अनुसूची तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गो के अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(ग) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबध में जो छत्तीसगढ सरकार के कर्मचारी हो, या कर्मचारी रहे हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु–सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण स्थायी/अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्च्तर आयु–सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u>– शब्द "छंटनी " किये गये सरकारी सेवक" से घोतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक, तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(ड) ऐसे अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण-- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से घोतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो मे से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

(एक) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियासतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ।

(दो) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर दिया गया हो और जिन्हें:--
(क) अल्पकालीन वचनबद्व अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ब) नामांकन की भर्ती संबधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हों ।
(तीन) मद्रास सिविल इकाई यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि के नियमित कमीशन्ड अधिकारी भी आते हैं जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों,

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किये गये हों,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगें ।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत "ग्रीनकार्ड धारक" है उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में, सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भजदेव सम्मान" तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

टिप्पणी – (I) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये है , नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें । यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उनके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हों तो वे पात्र बने रहेंगें ।

(II) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिये उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ट) किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** :– अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शायें अनुसार सेवा के लिए शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए।

(3) **शुल्क** –अभ्यर्थी को सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

(4) **निरर्हता** – अभ्यर्थियों की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा ।

9 **अभ्यर्थी की पात्रता संबध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**:– परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

10 (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** – नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें तीन सदस्य होंगें ।

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय समय पर अवधारित करें ।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** –(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय समय पर अवधारित करें ।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा ।

(तीन) चयन समिति, समय–समय पर, नियुक्ति प्राधिकरी द्वारा गठित की जायेगीं ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) मे अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य हो नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 11 मैं निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहें अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के अभ्यर्थियों के लियें आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के समय 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेगें ।

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए, उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां अन्य अभ्यर्थियों के बीच से नहीं भरी जाएगी, किन्तु इन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शेष रिक्तियों की समतुल्य संख्या उपलब्ध न हों, तो वे शेष नहीं भरे गये पदों को आगामी दूसरे चयन हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जाएगी ।

(8) विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा ।

11. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची**-(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों के गुणानुक्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नही है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये है, तैयार करेगा, सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ, सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधो के अध्ययीन रहते हुए तथा उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये है ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसें तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नही होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

12. **परिवीक्षा** :- सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठन किया जायेगा । परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
(3) छत्तीसगढ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उपनियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी ।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबधी शर्ते** -(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन व्यक्तियों के समस्त मामलो पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (2) में उल्लिखित हो, पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :- उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अर्हकारी सेवा की कालावधि की संगणना, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति बैठक के लिए आहूत करता है उस वर्ष से जिसमें शासकीय सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है तथा वेतनमान आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण किया जायेगा ।
(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना** -(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 13 में विहित शर्तो को पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।
(2) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मापदंड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सिनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी
(3) छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अनुसार ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची-चार के कालमें-दो में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखें जायेंगें

स्पष्टीकरण -ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शमिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नति नहीं किया गया हो केवल उसे पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से हो उन व्यक्तियों के उपर जिन पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नही होगा ।

16. **चयन सूची** -(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची चार के कालम-दो में दर्शायें गये पदो से अनुसूची-चार के कालम तीन में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।
(2) जिस कलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस केलैण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी शासन के कहने पर चयन सूची का

विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** –
(1) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।
(2) साधारणतः उस व्यक्ति का जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्शः करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्तियों की तारीख से बीच की कालावधि के दौरान कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती में किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबध में कोई प्रश्न उद्भूत हो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण** :– इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे यह नियम लागू होते हैं । राज्यपाल की, ऐसी रीति से जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :– वे समस्त नियम जो इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

(सी.के.खेतान)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

अनुसूची – एक

(नियम 5 देखिये)

अ.क.	सेवा मे सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	रिमार्क
		संचालनालय	क्षेत्रीय कार्यालय	योग			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षक	2	0	2	5500–9000	आयुक्त / संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास यथासंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त पदों के लिए	
2.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	5000–8000		
3.	सहायक सांख्यकी अधिकारी	1	0	1	5500–9000		
4	सहायक ग्रेड–1	5	6	11	4500–7000		
5.	सहायक ग्रेड–2	8	8	16	4000–6000		
6.	सहायक ग्रेड–3	12	8	20	3050–4590		
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	1	0	1	5500–9000		
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	3	0	3	4500–7000		
9.	स्टेनो टायपिस्ट	0	2	2	3050–4590		
10.	वाहन चालक	4	2	6	2610–3540		
	योग	**37**	**26**	**63**			

टीप– दो सहायक अधीक्षक के पद को विलोपित कर अधीक्षक पद उन्नयन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है । सहायक अधीक्षक एवं सहायक ग्रेड–1 का वेतनमान समान होने से वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 468 / वि / नि / चार / 2003, दिनांक 11.6.2003 के अनुसार सहायक अधीक्षक का पद पदोन्नत / सीधी नियुक्ति का पद नहीं होने से अनुसूची एक में सहायक अधीक्षक के 2 पदों को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

अ. क.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तर द्वारा (देखिये नियम 6(ग)	टिप्पणियां
		सीधी भरती द्वारा देखिये नियम 6(क)	पदोन्नति द्वारा देखिये नियम 6(ख)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	....	100 प्रतिशत	—	
2.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	....	—	अधिनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर	
3.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	....	—	आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	
4.	सहायक ग्रेड–1	....	100 प्रतिशत	—	
5.	सहायक ग्रेड–2	....	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड–1 के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पद ऐसे सहायक ग्रेड–2, जो स्नातक और पांच वर्ष की सेवा नियमित कर चुके हैं, की सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाएं.
6.	सहायक ग्रेड–3	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	—	
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	....	100 प्रतिशत	—	
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	66.6 प्रतिशत	33.3 प्रतिशत	—	
9.	स्टेनो टायपिस्ट	100 प्रतिशत	....	—	
10.	वाहन चालक (कनिष्ठ)	100 प्रतिशत	....	—	

टीप– दो सहायक अधीक्षक के पद को विलोपित कर अधीक्षक पद उन्नयन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है । सहायक अधीक्षक एवं सहायक ग्रेड–1 का वेतनमान समान होने से वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 468/वि/नि/चार/2003, दिनांक 11.6.2003 के अनुसार सहायक अधीक्षक का पद पदोन्नत/सीधी नियुक्ति का पद नहीं होने से अनुसूची एक में राहायक अधीक्षक के 2 पदों को शामिल नहीं किया गया है।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	शीघ्रलेखक ग्रेड--3	18	35	(1)शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण (2)शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/ संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से-- (एक) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी का प्रमाण पत्र (दो)अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से अंग्रेजी का प्रमाण पत्र (तीन)द्विभाषी के लिए उपर खण्ड (एक)तथा (दो) में विनिर्दिष्ट शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र (3) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण--पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 1000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति	
	स्टेनो टायपिस्ट	18	35	(1)शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक (10+2) उत्तीर्ण (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 25 शब्द प्रति मिनिट हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण प्रमाण पत्र तथा हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनिट की गति । (3)शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 1000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति	
	सहायक ग्रेड--3	18	35	(1)शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक (10+2) उत्तीर्ण (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 25 शब्द प्रति मिनिट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (3) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा डाटा एण्ट्री का 1000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति	
	वाहन चालक	18	35	1.छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से आठवीं उत्तीर्ण । 2. 3.विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए	

अनुसूची चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा का पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अनुभव	उस सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सहायक ग्रेड–1	पांच वर्ष	अधीक्षक	समस्त पदों के लिए संचालनालय में पदस्थ 1.संयुक्त संचालक –अध्यक्ष 2.संयुक्त संचालक –सदस्य 3.उप संचालक –सदस्य सचिव वरिष्ठतम संयुक्त संचालक समिति का अध्यक्ष होगा । ऐसे प्रकरण में किसी सदस्य का नाम निर्देशन न होने पर आयुक्त/संचालक, ऐसे अधिकारी का नाम निर्देशन करेगा, जो उप संचालक से निम्न श्रेणी का न हो ।	
	सहायक ग्रेड–2	पांच वर्ष	सहायक ग्रेड–1		
	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	पांच वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–2		
	स्टेनो टायपिस्ट	पांच वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–3		
	सहायक ग्रेड–3	पांच वर्ष	सहायक ग्रेड–2		
	चतुर्थ श्रेणी सेवा के ऐसे कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण हों ।	पांच वर्ष	सहायक ग्रेड–3		

टीप– **दो सहायक अधीक्षक के पद को विलोपित कर अधीक्षक पद उन्नयन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है । सहायक अधीक्षक एवं सहायक ग्रेड–1 का वेतनमान समान होने से वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 468/वि/नि/चार/2003, दिनांक 11.6.2003 के अनुसार सहायक अधीक्षक का पद पदोन्नति/सीधी नियुक्ति का पद नहीं होने से अनुसूची एक में सहायक अधीक्षक के 2 पदों को शामिल नहीं किया गया है ।**

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

क्रमांक/एफ-4-70/2007/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-70/2007/18, दिनांक 26 सितम्बर, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

Raipur, the 26th September 2008

No./F-4-70/2007/18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Urban Administration and Development Department (Non-Gazetted Class-III) service, namely :—

Rules

1. **Short title and commencement**:- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Urban Administration and Development Department (Non-Gazetted Class-III) Recruitment and Service Rules, 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of it's publication in the "Official Gazette".

2. **Definition**:- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** means the Authority who has been delegated the powers by the State Government for making appointment on any post or may be delegated thereafter;

(b) **" Committee"** means such departmental selection/ promotion committee as specified in column (5) of schedule IV constituted for the posts specified in column (4) of the said schedule;

(c) **"State Government"** means State Government of Chhattisgarh;

(d) **"Governor"** means Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Other Backward Classes"** means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide notification number. F8-5-(XXV)-4-84, dated 26th December, 1984 and as amended from time to time;

(e) **" Schedule"** means schedule appended to these rules;

(g) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;.

(i) **"State"** means State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application**,- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General conditions of service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service**- The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively on the posts specified in schedule-I;
(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
(3) Persons who will be recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Pay scales etc:-** The classification of service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment** - (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:-

(a) direct recruitment by competitive examination, selection by merit by interview ;

(b) by promotion as specified in the Schedule IV;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons to be recruited as under clause (a) and (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage and number of posts shown in column (a) and column (b) of Schedule-II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(3) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Scheduled castes, scheduled tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 shall be applicable and directions issued from time to time by the General Administration Department shall apply.

7. **Appointment to the Service**. - All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of the candidates for direct recruits**,-In order to be eligible for Examination/Selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age.** (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of schedule III on the first day of January, next following the date of commencement of the Examination/Selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years for the candidate belonging to a Scheduled Castes or a Schedule Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 years for the women candidates as per Chhattisgarh Civil Service (Special provision for appointment of women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in the respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be above the age of 38 years.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be applicable to the contingency paid employees, and work-charged employees.

(iii) A candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all/permanent/temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7(seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term **"retrenched Government servant"** denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the

constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment for not more than three years of prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term **"ex-serviceman"** denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(i) Such Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Such Ex-serviceman enrolled again and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Such Ex-serviceman (military and civil) short service Regular Commissioned Officers discharged on completion of their contract;

(v) Such Ex-serviceman discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Such Ex-serviceman separated from service on being disable of service;

(vii) Such Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Such Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-short, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of those candidates, who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste, Marriage incentive scheme of the Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward classes Welfare Department.

(i) The upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of "Saheed Rajiv Pandey Award" Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chand Samman holder candidates and National Youth Award holders.

(j) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(k) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject the limit of 8 years but no case their age should exceed 38 years of age.

Note. (i) Candidates who are admitted selection under the age relaxation mentioned in sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 8, above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(l) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in government service, the age limit of 45 years shall not exceed.

(m) Directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time also shall be applicable.

(2) **Educational Qualification** - The candidate must possess the educational qualification for service as shown in schedule-III.

(3) **Fees** - The candidate must pay the fees prescribed by Government.

(4) **Disqualification**- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify his to admission in the examination/selection.

9. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final** - The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or disability of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination/interviewed.

10. (1) **Direct Recruitment by competitive Examination** - Appointing Authority shall constitute selection committee consisting of three members.

(i) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may in consultation with the Government from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) **Direct recruitment by selection:** (i) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government may determine from time to time.

(ii) The selection of the candidates to the service shall be made by the committee by other competitive examination and interviewing them, and

(iii) Selection Committee shall be constituted by Appointing Authority from time to time.

(3) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance to the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994)

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 11 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward classes who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward, classes as the case may be

(6) At the time of direct recruitment 30 percent post shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) If a sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from amongst other candidates but an equivalent number of the remaining vacancies for candidates of these categories are not available remained unfilled, they shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next two selections.

(8) Reservation for handicapped persons shall be as per the directions of General Administrative Department.

11. List of Candidates Recommended by Selection Committee.- (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 and candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

12. Probation.- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

13. Appointment by promotion - (1) There shall be constituted a Committee for making preliminary selection for promotion of eligible candidates. Provided that for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, that provisions of Section-8 of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion/transfer - (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed at least five years of service (whether officiating) of substantive in the post mentioned in column (2) of Schedule IV or and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation-Method of computation for eligibility for Promotion: The calculation of the period of qualifying services on the Ist January of the year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay scale of the respective feeder cadre/post of service/post, and not from the date he has attained the pay scale.

(2) Promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) rules 2003.

(3) Promotion shall be made by the Government as per Reservation Roaster prescribed for promotion.

15. **Preparation of list of suitable candidates**;-.(1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 13 above and are held by the Committee to be suitable for promotion in service/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of one year from the date of preparation of the List.

(2) For preparing the selection list of persons from the post of Class IV to Class III the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3) The names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post, as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such selection list as per Chhattisgarh Civil Service (General conditions for service) Rules 1961.

Explanation- A person whose name is included in a selection list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Selection list-(1)** The list as finally approved by the Appointing Authority shall be Select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (3) of schedule IV to the posts mentioned in column (2) of the said schedule.

(2) The select list shall be valid upto 31 December of the calendar year in which it is prepared:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Department Promotion Committee, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list-** (1) Appointment of the candidates included in the select list shall be made in accordance with provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that any such type of case shall not be dealt in any manner which is less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and Saving.-** All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. K. KHAITAN, Secretary.

SCHEDULE -I
(See Rule 5)

Sl. No.	Name of Post included in the service	No. of Post			Scale of pay	Appointing Authority	Remarks
		Directorate	Regional Office	Total			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	02	0	02	5500-9000	Commissioner/ Director Urban Administration & Development for all posts specified in schedule as appended	
2.	Junior Accounts Officer	01	00	01	5000-8000		
3.	Asstt. Statistical Officer	01	00	01	5500-9000		
4.	Asstt. Gr. I	05	06	11	4500-7000		
5	Asstt. Gr. 2	08	08	16	4000-6000		
6.	Asstt. Gr. 3	12	08	20	3050-4590		
7	Stenographer Gr 2	01	00	01	5500-9000		
8.	Stenographer Gr.3	03	00	03	4500-7000		
9	Steno Typist	00	02	02	3050-4590		
10	Driver	04	02	06	2610-3540		
	Total	**37**	**26**	**63**			

Note :- A proposal for abolishing two posts of Assistant Superintendent up-gradation of post of Superintendent has been sent to the Finance Department. Hence two posts of Assistant Superintendent has not been included in schedule I as the post of Assistant Superintendent is not meant for either promotion or direct appointment as because the pay scale of Assistant Superintendent and Assistant Grade-1 are equal as per circular No. 468/F/Ni/IV/2003, dated 11-06-2003 issued by Finance Department.

SCHEDULE- II
(See Rule 6)

Sl. no.	Name of Post Included in the service	% age of Posts to be filled in		On Transfer from Other Services (See rule 6 (c))	Remarks
		by direct recruitment (See rule 6 (a))	Total No. in Service by Promotion (See rule 6 (b))		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent	--	100	--	
2	Junior Accounts Officer	--	--	On deputation from SAS Cadre	
3	Asstt. Statistical Officer	--	--	On deputation from Economic & Statistical Deptt.	
4	Asstt. Gr. 1		100	--	25% post of total senctoin post of Asstt. Gr.1 will be fullfil by limited departmental Examination amang thouse Asstt. Gr.2 Who are Graduate and complited of 5 Years regular servise
5.	Asstt. Gr. 2	--	100	--	
6.	Asstt. Gr. 3	75	25	--	
7.	Stenographer Gr. 2	--	100	--	
8.	Stenographer Gr. 3	66.6	33.3	--	
9	Steno Typist	100	--	--	
10	Driver (Junior)	100	--	--	

Note : A proposal for abolishing two posts of Assistant Superintendent up-gradation of post of Superintendent has been sent to the Finance Department. Hence two posts of Assistant Superintendent has not been included in schedule-I as the post of Assistant Superintendent is not meant for either promotion or direct appointment as because the pay scale of Assistant Superintendent and Assistant Grade-1 are equal as per circular No. 468/F/Ni/IV/2003, dated 11-06-2003 issued by Finance Department.

SCHEDULE- III
(See Rule 8)

Name of Department	Name of Service	Minimam Age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urban Administration and Development Deparment	Stenographer Gr.3	18 years	35 years	(I) Should pass higher secondary (10+2) from government recognized Board/University (2) From the government recognized Board/Institution or Shorthand and typing council should posses- i) certificate in Hindi shorthand 100 wpm and 25 wpm in typewriting. ii) certificate in English shorthand 100 wpm and 30 wpm in typewriting. iii) certificate in both languages as above (i) & (ii) in shorthand and typewriting. (3) One year Diploma in Data Entry Operator/ programmer from government recognized institute and must have speed of 1000 data entry per hour.	

Steno Typist	18	35	(I) Should pass higher secondary (10+2) from government recognized Board/University (2) Should posses pass certificate in Hindi typewriting 25 wpm and 60 wpm in Hindi shorthand from government recognized institution. (3) One year Diploma in Data Entry Operator/ programmer from government recognized institute and must have speed of 1000 data entry per hour.	
Assistant Gr.3	18	35	(I) Should pass higher secondary (10+2) from government recognized Board/University. (2) Should possess pass certificate in Hindi typewriting with speed of 25 wpm. (3) One year Diploma in Data Entry Operator/ programmer from government recognized institute and must have speed of 1000 data entry per hour.	
Driver	18	35	(1) Should pass 8th standard from the Board/institution recognized by the Chhattisgarh government . (2) (3) Should posses valid driving licence.	

SCHEDULE -IV
(See Rule 14)

Name of Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Experience for Promotion	Name of the Post to be promoted	Name of the members of the Departmental Promotion Committee	remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urban Administrtion and Development Department	Asstt. Gr. 1	05 years	Superintendent	For all the posts Officers in the Directorate:- 1. Joint Director-Chairman 2. Joint Director-Member 3. Deputy Director-Member Secretary. Senior most Joint Director will be Chairman of the Committee. In case if a member is not nominated then the Commissioner/Director shall nominate the names of the officers who will not be below the rank of Deputy Director.	The promotion of employees will be selected who are in the Directorate and regional office.
	Asstt. Gr. 2	05 years	Asstt. Gr. 1		
	Stenographer Gr. 3	05 years	Stenographer Gr. 2.		
	Steno-typist	05 years	Stenographer Gr. 3		
	Asstt. Gr. 3	05 years	Asstt. Gr. 2		
	Class-IV staff who have passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board/University	05 years	Asstt. Gr. 3		

Note : A proposal for abolishing two posts of Assistant Superintendent up-gradation of post of Superintendent has been sent to the Finance Department. Hence two posts of Assistant Superintendent has not been included in schedule I as the post of Assistant Superintendent is not meant for either promotion or direct appointment as because the pay scale of Assistant Superintendent and Assistant Grade-1 are equal as per circular No. 468/F/Ni/IV/2003, dated 11-06-2003 issued by Finance Department.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक 72/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	बोदरी	0.042	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	आर. ओ. बी. के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/33.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 23	0.239	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/34.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बुंदेला प.ह.नं. 15	0.242	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बुंदेला माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/35.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	रसौंटा प.ह.नं. 12	0.105	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	रसौंटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/36.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 23	1.463	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/37.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	घिवरा प.ह.नं. 24	0.045	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	घिवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/38.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	बिर्रा प.ह.नं. 22	0.154	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	सोनादह माइनर नं. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/39.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सोनादह प.ह.नं. 19	0.097	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	सोनादह माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक 1052/अ. वि. अ./वा./08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बोरसी प.ह.नं. 03	0.243	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा, मु. चांपा.	छडौलिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु ग्राम बोरसी की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक 1056/अ. वि. अ./वा./08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भुईगांव प.ह.नं. 18.	0.349	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	जोंधरा भुईगांव मार्ग पर लीलागर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/118/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	कलगांव	4.45	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/121/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	तुमापाल	4.73	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/124/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	कुहचे	6.24	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/127/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	पोड़गांव	22.90	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/130/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	लामपुरी	1.55	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/132/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	गोड़बिनापाल	17.23	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/138/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	घोटुलबेड़ा	1.85	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/141/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	होयचुरा	5.16	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/144/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	हिन्दुबिनापाल	3.54	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/147/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	गावड़ेखसगांव	5.13	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/150/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	मासवरस	1.20	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक/153/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अंतागढ़	ताड़ोकी	0.63	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/156/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भैसमुड़ी	11.33	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/158/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	टेकाढोड़ा	6.16	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/162/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	पण्डरीपानी	6.05	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/165/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भीरागांव	12.64	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/168/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	चिचमर्रा	4.36	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/171/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ती की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कन्हारगांव	24.57	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/174/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कनकपुर	3.93	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/177/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	6.59	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/180/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	चौगेल	11.25	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/183/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	घोड़ाबत्तर	6.92	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/186/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भैसाकन्हार	2.21	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/189/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	हरहरपानी	4.39	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/192/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	किनारी	0.99	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/195/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	फरसकोट	0.87	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/198/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	केवटी	12.46	मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 7 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपकी प. ह. नं. 15/32	1.734	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	मोपकी उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्रं. 8 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	बीजाभाट प. ह. नं. 9/45	3.130	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	सेमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 9 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	बिटकुली प. ह. नं. 19/37	5.782	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	लालपुर एवं खपरी उप-नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 10 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	खपरी प. ह. नं. 19/37	1.914	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	दायीं छोर वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 11 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपका प. ह. नं. 12/33	5.951	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	बायीं छोर वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 12 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	भरतपुर प. ह. नं. 12/33	3.322	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	खपरी उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 13 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	रामपुर प. ह. नं. 17/35	0.372	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	लालपुर उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 14 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपका प. ह. नं. 12/33	3.264	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.- 3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	मोपका उप नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र.क्र. अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	रोहांसी प. ह. नं. 30	18.140	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा निसदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	अहमदपुर प. ह. नं. 29	5.734	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा निसदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 15 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मर्राकोना प. ह. नं. 4	0.55	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर छ. ग.	भाटापारा-लिमतरा मार्ग के कि. मी. 13/6 एवं 14/2 पर बंजारी नाला पर पुल के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 16 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	बम्हनीडीह प. ह. नं. 4	0.06	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर छ. ग.	भाटापारा-लिमतरा मार्ग के कि. मी. 13/6 एवं 14/2 पर बंजारी नाला पर पुल के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 17 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	कोलिहा प. ह. नं. 4	0.280	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर छ. ग.	भाटापारा-लिमतरा मार्ग के कि. मी. 13/6 एवं 14/2 पर बंजारी नाला पर पुल के निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./30/अ 82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	माना प. ह. नं. 116	491/1, 492/1	0.121	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	रॉ-वाटर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन बिछाने हेतु.
			491/2, 492/2	0.129		
		योग	2	0.250		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-लखनपुर, प. ह. नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.147 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
08	0.213
200	0.043
35/1	0.078
35/2	0.104
201	0.070
213	0.080
203/1	0.131
203/2	0.404
212/1	0.077
212/2	0.072
212/3	0.004
214	0.225
215/5	0.029
215/6	0.024
215/2	0.055
217/1	0.065

(1)	(2)
217/2	0.016
217/3	0.081
219/5, 219/6	0.200
219/15	0.245
219/13	0.178
219/18	0.146
219/17	0.110
219/20	0.036
219/3	0.004
219/2	0.232
219/11	0.184
302/1	0.020
215/4	0.021
योग 29	3.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2008

क्रमांक/9318/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तुमड़ीबोड़, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.838 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
499/1	0.024
500/2	0.323
514/1	0.081
501/2	0.057
513	0.351
514/2	0.283
500/1	0.070
515/1	0.065
515/2+515/3	0.089
516	0.153
517	0.008
602/1	0.041
603/2	0.028
604/1+604/2	0.254
605/18	0.081
605/21	0.073
605/19	0.081
605/16	0.024
605/6	0.109
616/1	0.206
617/1	0.081
617/2	0.318
627/1	0.004
627/2	0.330
518/2	0.263
518/3	0.130
518/1	0.242
511/4	0.008
500/3	0.061
योग 29	3.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बॅराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2008

क्रमांक/9503/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-माथलडबरी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
95	0.036
85/1	0.032
85/2	0.020
85/3	0.052
84	0.072
79/2	0.081
89	0.028
79/3	0.226
77/1+77/2	0.105
75/7	0.077
75/2	0.041
74/1	0.089
75/3	0.065
73/3	0.041
62/2	0.061
12	0.133
13/4	0.109
13/1	0.202
14/3	0.045
51/1	0.121
14/2	0.085
18/1 घ	0.161
18/1 ग	0.069
50/5	0.024
79/1	0.057
योग 25	2.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th September 2008

No. 54 (Mis.)/I-7-3/2008 (Pt.-I).—It is hereby notified that in partial modification of the calendar for the High Court and its Registry for the year 2008, Dushera Holidays shall be from 3rd of October to 10th of October, 2008 and Saturdays falling on 18th of October, 2008 and 6th of December, 2008 shall be working days for the High Court.

By the order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 23rd September 2008

No. 41/L.G./2008/II-2-3/2005.—Shri C. L. Patel, District & Sessions Judge, Korba is hereby. granted earned leave for 04 days from 22-09-2008 to 25-09-2008 and permission to prefix holidays on 20th & 21st September, 2008 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Patel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+1[illegible] days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.